न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 02/2023

1 महावीर पुत्र मुरली जाति बलाई निवासी ढ़ाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर।

2 नाथूराम पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी अम्बेडकर कॉलोनी भेपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामवतार पुत्र रामेश्वर।

2राकेश पुत्र रामेश्वर।

3 सोहन पुत्र रामेश्वर समस्त जाति बलाई निवासीगण ढ़ाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर।

4 लेखरा पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी अम्बेडकर कॉलोनी भेपतपुरा मालाकाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 गोरधनी पत्नी रामेश्वर।

6 बनवारी पुत्र चूना समस्त जाति बलाई निवासीगण ढ़ाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर।

7 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिपराली।

8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ़ जिला सीकर।

9 तहसीलदार सीकर जिला सीकर।

10 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ।

11 परमेश्वरलाल पुत्र भागीरथ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 उर्मिला देवी पत्नी मंगलचन्द।
13 रामकुमार पुत्र मुरली।
14 ताराचन्द पुत्र बंशीवाल।
15 तीजू देवी पत्नी पप्पुराम।
16 बनवारी पुत्र रघुनाथ।
17 शंकर पुत्र बंशीलाल।
18 मैना पुत्री बीरबल।
19 आरती पुत्री बीरबल।
20 खुशी पुत्री बीरबल समस्त जाति बलाई निवासीगण ढ़ाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर
दिनांक 30.11.2022 प्रार्थना पत्र संख्या 04/2021
अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
शीर्षक रामोतार आदि बनाम महावीर आदि

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री ओमप्रकाश मील, रेस्पोडेन्ट संख्या 6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

-निर्णय-

दिनांकः- 18.05.2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रामवतार, राकेश, सोहन पुत्रगण रामेश्वर की ओर से खसरा नम्बर 2687/949, 2656/949 वाके ग्राम राणावाली ढाणी में से रास्ते हेतु धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दर्ज कथनों से विचाराधीन प्रकरण धारा 251 ए की परिधि में नहीं होकर केवल धारा 251 की परिधि का है। धारा 251 के लिए विधि में अलग प्रकिया निर्धारित है। विचाराधीन आवेदन में प्रचलित रास्ता होने का कथन किया है, चालू रास्ते को बंद करने की धमकी का कथन भी किया है। स्पष्ट है कि आवेदन धारा 251 ए की परिधि में नहीं आता है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी व आईएलआर द्वारा तैयार की गई है। धारा 251 ए में रिपोर्ट हेतु यह सक्षम नहीं है। प्रचलित रास्ता सार्वजनिक है किन्तु कटान में नहीं है। अतः 11-11 फीट दोनों ओर से गैर-मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने की सहमति हुई थी। इस समझौते से अपीलांट आज भी सहमत है। विचारण न्यायालय में विधि की मंशा के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 ए के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के संदर्भ में विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। इसकी निगरानी अप्रार्थी द्वारा माननीय मण्डल में प्रस्तुत की गई थी। जहां से निगरानी खारिज की जाकर प्रकरण धारा 251 ए के अन्तर्गत पोषणीय माना गया है। अतः अब इस बिन्दु पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है। धारा 251 ए भूमि के बदले भूमि देने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार डीएलसी की दोगुनी दर से प्रतिकर राशि का निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की जोत के लिए रास्ता चाहा गया है। अन्य काश्तकारों के पास पूर्व से रास्ता विद्यमान है। धारा 251 ए में आईएलआर मौका रिपोर्ट के लिए सक्षम है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने तर्क दिया की रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 व 6 की संयुक्त पैत्रक सम्पति है। विभाजन से पूर्व प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन धारा 251 ए की परिधि में नहीं आता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की विधिक आपत्ति है कि प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 ए की परिधि में नहीं है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण धारा 251ए के अन्तर्गत विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसकी निगरानी अप्रार्थी द्वारा माननीय मण्डल में प्रस्तुत की गई थी। जहां से निगरानी खारिज की जा चुकी है।

यहां यह भी विचारणीय है कि धारा 251 ए भूमि के बदले भूमि देने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार डीएलसी की दोगुनी दर से प्रतिकर राशि का निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की जोत के लिए रास्ता चाहा गया है। अन्य काश्तकारों के पास

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्व से रास्ता विद्यमान है। धारा 251 ए में आईएलआर मौका रिपोर्ट के लिए सक्षम है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ता लघुत्तम है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर